

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 10/2020 {RCMS 2020/00024}

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. कमलादेवी पत्नी कुनणाराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी


दावा :- अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।


निर्णय

दिनांक :- 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्बत 2073-2076 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2753/659 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम प्रतिवादी की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के प्लाट एवं कॉलोनी बना कर निर्माण कर का कार्य कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का कुचामनसिटी ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनांक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 20/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है ग्राम कुचामनसिटी के 2753/659 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी के हक हिस्से को राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार  द्वारा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनांक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादी को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2074-2077 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होंने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के 2753/659 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम हैक्टर भूमि में प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के डिफेंस एकेडमी एवं जोधपुर के पत्थर काटने का कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2074-77 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :-

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी					
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार					
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टर					
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 749					
जिला :- तागौर	खाता संख्या पुराना :- 703					
काश्तकार का नाम:-						
1. कमलादेवी पत्नि कुनगराम हिस्सा- 929/21000 जाति- जाट सा. शिव खातेदार						
2. गीतादेवी पत्नि चतुर्भुज रांकावत हिस्सा- 1327/60000 जाति- स्वामी सा. डीडवाना खातेदार						
3. प्रकाशचन्द पुत्र भंवरलाल काला हिस्सा- 12153/140000 जाति- जैन सा. कुकनवाली खातेदार						
4. परसाराम पुत्र भूराराम हिस्सा- 1327/30000 जाति- जाट सा. ठठाना खातेदार						
5. मलकुदेवी पत्नि पद्माराम शेषमा हिस्सा- 929/42000 जाति- जाट सा.शेषमा का बास खातेदार						
6. मोहनराम पुत्र हेमाराम मण्डा हिस्सा- 7431/140000 जाति- जाट सा. रामपुरा खातेदार						
7. रामअवतार पुत्र देवीप्रसाद डीडवानिया हिस्सा- 27947/60000 जाति- अग्रवान सा. देह खातेदार						
8. रितु पुत्री चतुर्भुज रांकावत हिस्सा- 1327/60000 जाति- स्वामी सा. डीडवाना खातेदार						
9. शारदादेवी पत्नि अभिनव कुमावत हिस्सा- 7431/140000 जाति- कुमावत सा. हरितनगर (खारिया) खातेदार						
10. सुगनीदेवी पत्नि देवाराम हिस्सा- 1783/52500 जाति- जाट सा. हरियाजून खातेदार						
11. सन्तोष पत्नि विजयकुमार हिस्सा- 5167/60000 जाति- स्वामी सा. भादवा तह.प रबतसर खातेदार						
12. सन्तोषदेवी पत्नि भंवरलाल शेषमा हिस्सा- 929/42000 जाति- जाट सा.शेषमा का बास खातेदार						
13. हनुमानराम पुत्र परसाराम हिस्सा- 18577/420000 जाति- जाट सा. गौगौर खातेदार,						
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2753/659	0.4200	चाही 1	0.4200	22.68		नामांतरकरण संख्या : 5335, 29/01/2021 बेचान खसरा संख्या:
						2753/659 पर सन्तोष पत्नि विजयकुमार से सन्तोष पत्नि
						विजयकुमार, हंसा चौहान पत्नि अशोककुमार पर नामांतरकरण
						प्रक्रियाधीन है।
कुल खसरे - 1	0.4200		0.4200	22.6800		

प्रश्नगत ग्राम कुचामनसिटी के 2753/659 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी का अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जिससे प्रतिवादी ने अपने हक हिस्से की भूमि को कृषि से गैर कृषि कार्य हेतु भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के उपयोग में लिया है।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (तागौर)

प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा आवासीय कॉलोनी एवं जोधपुर के पत्थर की कर्टींग का कार्य कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के 2753/659 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी के हिस्से की भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बाबूखील जाट RAS)

उपखण्ड अधिकारी

कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी
बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 10/2020 {RCMS 2020/00024}

मुकाम : कुचामन सिटी

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. कमला देवी पत्नी कुनणाराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
दावा :- अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू राज पैरोकार हाजिरी
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि
ग्राम कुचामनसिटी के 2753/659 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी के
हिस्से की भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते
में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार कुचामनसिटी को
उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा
जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज मुबलिग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की
गई।



दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रुपर्ये	पैसे	मुदायलय	रुपर्ये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो
या नहीं, दर्ज करना चाहिए